

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी (म.प्र.)

॥ कार्य-विभाजन आदेश ॥

क्रमांक/113 /S.W./एक-5-1/2005-26

बड़वानी, दिनांक 14/02/2026

मैं, **महेन्द्र कुमार जैन**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला-बड़वानी व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21(4) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-8(7), 8(8), 214, 422(2) एवं 441 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायिक जिला बड़वानी में पदस्थ न्यायाधीशगण के मध्य सिविल एवं दण्डिक कार्यों के सम्पादन हेतु **वर्ष 2026** हेतु आदेश दिनांक से आगामी आदेश होने तक के लिए क्षेत्राधिकार निम्नानुसार विभाजित करता हूँ, इस कार्य विभाजन के प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं प्रकरण जिस न्यायालय के न्यायाधीशों के पास लंबित हैं या प्रस्तुत किया गया है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा :-

क	न्यायालय	क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी	तहसील न्यायालय सेंधवा की अधिकारिता को छोड़कर संपूर्ण सिविल जिला बड़वानी,	<u>व्यवहार प्रकरण :-</u> 1. मूल सांपत्तिक वाद 1,00,00,001 रुपये से अन्यून मूल्यांकन के प्रकरण। 2. लघुवाद प्रकरण 501 रुपये से अधिक व 1000 रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 3. धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 1,00,00,001 रुपये से अन्यून मूल्यांकन के प्रकरण। 4. प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसोल्वेंसी) प्रकरण 1,00,00,001 रुपये से अन्यून मूल्यांकन के प्रकरण। 5. ऑर्बीट्रेशन एक्ट (मध्यस्थता प्राधिकरण के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों को छोड़कर) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण (तहसील न्यायालय सेंधवा की अधिकारिता को छोड़कर संपूर्ण सिविल जिला बड़वानी) 6. तहसील बड़वानी/अंजड़ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली दुर्घटना अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के निवास होने से उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समस्त प्रकरण। 7. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 एवं भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र, तहसील अंजड़ एवं राजपुर (कुटुम्ब न्यायालय बड़वानी के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)। 8. भारतीय ट्रेड मार्क एवं ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत आवेदन पत्र। 9. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रकरण।

		10. लोक न्याय अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 11. प्रोबेट एवं लेटर ऑफ एडमिनीस्ट्रेशन के प्रकरण के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 12. इंडियन गार्जियन एंड वॉर्ड्स एक्ट अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 13. सिविल न्याय पंचायत, म.प्र. शेड्यूल ट्राईब डेब्ट रिलीफ रेग्यूलेशन एक्ट एवं नगर पालिका विधान के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले पुनरीक्षण प्रकरण। 14. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 20 के अंतर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिका। 15. मूल सिविल एवं विविध सिविल अपीलें— ◆ प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बड़वानी, ◆ प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बड़वानी ◆ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड बड़वानी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम) बड़वानी द्वारा पारित निर्णय, व्यय पत्र एवं समस्त आदेशों के विरुद्ध ◆ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अंजुड़ ◆ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड, राजपुर ◆ न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय बड़वानी के द्वारा पारित निर्णय जयपत्र एवं समस्त आदेशों के विरुद्ध, ◆ भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम के मामलों से उद्भूत होने वाली अपीलें व उनसे व्युत्पन्न प्रवर्तन आदेश व विधिक प्रकरण। ◆ स्थानीय अर्थोरिटी, द्वारा पारित निर्णय, जयपत्र एवं समस्त आदेशों के विरुद्ध। 16. धारा 246 एवं 260 म.प्र. न्याय पंचायत संबंधी आवेदन पत्र। 17. धारा-24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरण। 18. अन्य समस्त स्पेशल एवं लोकल लॉज के तहत प्रस्तुत होने वाले व्यवहार प्रकरण, जो इस आदेश में उल्लिखित से अन्यथा हों। 19. अन्य समस्त प्रकार के वाद, आवेदन पत्र आदि जो कि इस न्यायालय द्वारा श्रवणयोग्य हों, जो इस आदेश में उल्लिखित से अन्यथा हों। 20. जिला बड़वानी से अन्यथा जिले/राज्य से प्राप्त डिक्री अथवा अवार्ड से संबंधित निष्पादन कार्यवाहियां। 21. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत।
--	--	--

		संपूर्ण सत्र खण्ड बड़वानी (तहसील न्यायालय सेंधवा की अधिकारिता को छोड़कर)	22. जिला बड़वानी की स्थानीय सीमाओं में उद्भूत विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा-20(ख) के अंतर्गत अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के उल्लंघन से संबंधित प्रकरण। (म.प्रशासन विधि एवं विधायी विभाग की अधिसूचना दिनांक-30.01.2019 के अनुसार) आपराधिक प्रकरण :- 23. सत्र प्रकरण - संपूर्ण सत्र खण्ड बड़वानी । 24. दांडिक अपीलें । 25. दांडिक पुनरीक्षण याचिका (ग्राम न्यायालय पुनरीक्षण को छोड़कर) 26. प्रकरणों के अंतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र । 27. जमानत (प्रतिभूति) आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 के अधीन प्रस्तुत होने वाले । 28. जिला बड़वानी की सीमा के अंतर्गत मानव अधिकार अधिनियम, 1993 के तहत प्रस्तुत आवेदन-पत्र (इसमें तहसील न्यायालय सेंधवा में शामिल होने वाली सभी तहसीलें शामिल हैं)। 29. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत । 30. विशेष अधिनियमों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले विशेष प्रकरण व अन्य प्रकरण, जो इस आदेश में उल्लेखित से अन्यथा हों। 31. अन्य आपराधिक प्रकरण, जिसका उल्लेख इस कार्यविभाजन पत्रक में नहीं है एवं सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे।
2.	न्यायालय : विशेष न्यायाधीश (अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम) बड़वानी	संपूर्ण सत्र खण्ड बड़वानी	1. दीवानी प्रकरण एवं अन्य कार्य - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा वह प्रकरण जो समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश द्वारा अंतरित। 2. तहसील पाटी एवं ठीकरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली दुर्घटना अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के निवास होने से उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समस्त प्रकरण। 3. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत । आपराधिक प्रकरण :- 4. अ.जा. एवं अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत विशेष सत्र प्रकरण, निजी परिवाद पर से उद्भूत विशेष सत्र प्रकरण तथा उक्त अधिनियम के तहत प्रस्तुत जमानत आवेदन-पत्र।

			5. एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्यवाही। (वर्तमान/पूर्व सांसद/विधायकों के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर) 6. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं, जमानत आवेदन-पत्र एवं अन्य दाण्डिक प्रकरण। 7. इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां
3.	न्यायालय प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	संपूर्ण सत्र खण्ड बड़वानी	व्यवहार प्रकरण :- 1. <u>तहसील राजपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली दुर्घटना अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के निवास होने से उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समस्त प्रकरण।</u> 2. दीवानी प्रकरण एवं अन्य कार्य- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित। 3. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत। आपराधिक प्रकरण :- 4. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पेश होने वाले प्रकरणों से संबंधित समस्त कार्यवाही। { भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा(1) में विनिर्दिष्ट अपराधों के एवं उन अपराधों जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का सं.25) के अधीन किया गया हो, को छोड़कर } 5. जिला बड़वानी की स्थानीय सीमाओं में उद्भूत अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं, जमानत आवेदन पत्र व अन्य दाण्डिक व दीवानी प्रकरण। 7. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत। 8. तहसील न्यायालय सेंधवा की अधिकारिकता को छोड़कर बड़वानी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम से उद्भूत होने वाले प्रकरण।

4.	न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	संपूर्ण सत्र खण्ड बड़वानी	<u>व्यवहार प्रकरण :-</u> 1. दीवानी प्रकरण एवं अन्य कार्य— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण। 2. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत। <u>आपराधिक प्रकरण :-</u> 3. विद्युत अधिनियम 2003 के तहत पेश होने वाले सत्र खण्ड बड़वानी के समस्त विद्युत क्षेत्र (संघवा, अंजड़ एवं राजपुर विद्युत क्षेत्र को छोड़कर) संबंधी विशेष प्रकरणों संबंधी समस्त कार्यवाही। (वर्तमान/पूर्व सांसद/विधायकों के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर) 4. सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं, जमानत आवेदन पत्र व अन्य दाण्डिक प्रकरण। 5. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत।
5.	न्यायालय तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी		<u>व्यवहार प्रकरण :-</u> ◆ दीवानी प्रकरण एवं अन्य कार्य— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण। ◆ निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत। <u>आपराधिक प्रकरण :-</u> ◆ सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं, जमानत आवेदन पत्र व अन्य दाण्डिक प्रकरण। ◆ निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत। ◆ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत वे मामले, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध की धाराएं भी हैं। (संपूर्ण जिला) ◆ -लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012। (पुलिस आरक्षी केन्द्र बड़वानी, पाटी, सिलावद, पलसुद, अंजड़, ठीकरी, जुलवानिया, राजपुर, ओझर, नांगलवाडी की स्थानीय सीमाओं से उत्पन्न अपराध)“

6.	न्यायालय प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सैधवा		व्यवहार प्रकरण :- 1. दीवानी प्रकरण एवं अन्य कार्य - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेशों के द्वारा अन्तरित । 2. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत । आपराधिक प्रकरण :- 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया के निर्णयों एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत आपराधिक अपील व पुनरीक्षण प्रकरण 4. कार्यपालिक मजिस्ट्रेट वरला के आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत दांडिक पुनरीक्षण याचिका 5. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं एवं अन्य दाण्डिक प्रकरण । 6. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत । नोट ए :- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया के निर्णयों एवं आदेशों के विरुद्ध आपराधिक अपील व पुनरीक्षण याचिकाओं तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट वरला के आदेशों के विरुद्ध दांडिक पुनरीक्षण याचिका प्राप्त कर सुनवाई करेंगे एवं उन्हें पंजीयन व अंतरण कार्यवाही हेतु सत्र न्यायालय को भेजेंगे ।
7.	न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सैधवा	तहसील सैधवा, वरला	व्यवहार प्रकरण :- 1. मूल सांपत्तिक वाद 1,00,00,001 रुपये से अन्यून मूल्यांकन के प्रकरण । 2. लघुवाद प्रकरण 501 रुपये से अधिक एवं 1000 रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण । 3. धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 1,00,00,001 रुपये से अन्यून मूल्यांकन के प्रकरण । 4. प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसील्वेंसी) प्रकरण 1,00,00,001 रुपये से अन्यून मूल्यांकन के । 5. ऑर्बीट्रेशन एक्ट (मध्यस्थता प्राधिकरण के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों को छोड़कर) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण 6. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत आवेदन पत्र । 7. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के तहत आवेदन पत्र 8. भारतीय ट्रेड मार्क एवं ट्रस्ट एक्ट के तहत आवेदनपत्र 9. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्रकरण । 10. सिविल न्याय पंचायत, रिक्वीजन, म.प्र. शेड्यूल ट्राईब डेब्ट रिलीफ रेग्यूलेशन एक्ट एवं नगर पालिका विधान के तहत प्रस्तुत होने वाले पुनरीक्षण प्रकरण ।

			11. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 20 के तहत प्रस्तुत चुनाव याचिका ।
			12. मूल सिविल एवं विविध सिविल अपीलें— → व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सेंधवा/ग्राम न्यायालय सेंधवा → स्थानीय अर्थोरिटी द्वारा पारित निर्णय, जयपत्र एवं आदेशों के विरुद्ध । 13. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तहसील सेंधवा शहर, वरला, क्षेत्र के अंतर्गत घटित दुर्घटना अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के निवास होने से उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समस्त प्रकरण। 14. दीवानी प्रकरण एवं अन्य कार्य — प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेशों के द्वारा अन्तर्हित । 15. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत । आपराधिक प्रकरण :- 16. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं एवं अन्य दाण्डिक प्रकरण। 17. विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सेंधवा, अंजड़ एवं राजपुर विद्युत क्षेत्र संबंधी विशेष प्रकरणों संबंधी समस्त कार्यवाही। (वर्तमान/पूर्व सांसद/विधायकों के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर)। 18. निक्षेपो के हितो का संरक्षण अधिनियम के अधीन तहसील सत्र खण्ड सेंधवा के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों प्रस्तुत होंगे। इस संबंध में अधिसूचना दिनांक 14.10.19 अवलोकनीय है। 19. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा (व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सेंधवा) व न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सेंधवा के निर्णयों एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत आपराधिक अपील व पुनरीक्षण प्रकरण 20. कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सेंधवा के आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत दांडिक पुनरीक्षण याचिका । 21. आरक्षी केंद्र सेंधवा शहर वरला एवं खेतिया, आबकारी वृत्त सेंधवा एवं वन वृत्त सेंधवा से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 के जमानत आवेदन पत्र। 22. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत ।

			नोट ए :- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा (व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सेंधवा) व न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सेंधवा के निर्णयों एवं आदेशों के विरुद्ध आपराधिक अपील व पुनरीक्षण याचिकाओं तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सेंधवा के आदेशों के विरुद्ध दांडिक पुनरीक्षण याचिका प्राप्त कर सुनवाई करेंगे एवं उन्हें पंजीयन व आगामी कार्यवाही हेतु सत्र न्यायालय को भेजेंगे। नोट बी :- ऐसे आपराधिक सत्र प्रकरण/विशेष प्रकरण/जमानत आवेदन पत्र जो सत्र खण्ड सेंधवा में अन्य किसी अधिनियम से उद्भूत होते हैं एवं जिनका इस कार्य विभाजन पत्रक में उल्लेख नहीं है।
8-	न्यायालय तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा	तहसील पानसेमल निवाली	व्यवहार प्रकरण :- 1. मूल सांपत्तिक वाद 1,00,00,001 रुपये से अन्यून मूल्यांकन के प्रकरण। 2. लघुवाद प्रकरण 501 रुपये से अधिक एवं 1000 रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 3. प्रोबेट आवेदन, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 4. इंडियन गार्जियन एंड वॉर्ड्स एक्ट के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			5. मूल सिविल एवं विविध सिविल अपीलें— — व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंधवा — व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खेतिया के द्वारा पारित निर्णय, जयपत्र एवं आदेशों के विरुद्ध। — मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तहसील पानसेमल, निवाली एवं आरक्षी केन्द्र सेंधवा ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत घटित दुर्घटना अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के निवास होने से उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समस्त प्रकरण — दीवानी प्रकरण एवं अन्य कार्य — प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेशों के द्वारा अन्तरित। — निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत। आपराधिक प्रकरण :- 6. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं एवं अन्य दांडिक प्रकरण। 7. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा (व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सेंधवा) के निर्णयों एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत आपराधिक अपीलें व पुनरीक्षण याचिकाएं

		8. कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पानसेमल के आदेशों के विरुद्ध दंडिक पुनरीक्षण याचिका । 9. आरक्षी केंद्र सेंधवा ग्रामीण, पानसेमल, निवाली, आबकारी वृत्त खेतिया से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 के जमानत आवेदन पत्र । 10. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं महिलाओं के विरुद्ध अन्य अपराध (OAW) जैसे बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार के साथ हत्या एवं अन्य अपराध से उद्भूत प्रकरण (पुलिस आरक्षी केंद्र सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण, वरला, पानसेमल, निवाली, खेतिया की स्थानीय सीमाओं से उत्पन्न अपराध) 11. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत । नोट ए :- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा (व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सेंधवा) के निर्णयों एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण याचिका एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पानसेमल के आदेशों के विरुद्ध दंडिक पुनरीक्षण याचिका प्राप्त कर सुनवाई करेंगे एवं उन्हें पंजीयन व अंतरण हेतु सत्र न्यायालय बड़वानी को भेजेंगे ।
9.	न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं सी.जे.एम. बड़वानी	तहसील बड़वानी, 1. नियमित वाद 5,00,001 रुपये से 1,00,00,000 रुपये तक मूल्यांकन के प्रकरण । 2. लघुवाद प्रकरण 201 से 500 रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण । 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पार्ट-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण । 4. प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसावर्सेसी) विधान प्रकरण 5,00,001 रुपये से 1,00,00,000 रुपये तक । 5. धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत 5,00,001 रुपये से 1,00,00,000 रुपये मूल्यांकन तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 6. धारा 139 एवं धारा 172 नगर पालिका विधान के तहत प्रस्तुत होने वाली विविध अपीलें । 7. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य । 8. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत । 9. जिला बड़वानी की स्थानीय सीमाओं में उद्भूत मेंटल हेल्थ-केयर एक्ट, 2017 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण

10.	न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बड़वानी	तहसील पाटी	1. नियमित वाद 5,00,001 रुपये से 1,00,00,000 रुपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 2. लघुवाद प्रकरण 201 से 500 रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पार्ट-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 4. प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसावर्सेसी) विधान प्रकरण 5,00,001 रुपये से 1,00,00,000 रुपये तक। 5. धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत 5,00,001 रुपये से 1,00,00,000 रुपये मूल्यांकन तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6. धारा 139 एवं धारा 172 नगर पालिका विधान के तहत प्रस्तुत होने वाली विविध अपीलें। 7. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 8. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत।
11.	न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड बड़वानी	तहसील बड़वानी,	1. नियमित वाद 5,00,000 रुपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 2. लघुवाद 200 रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 3. प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसावर्सेसी) विधान के अंतर्गत 5,00,000 रुपये तक प्रकरण। 4. धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत 5,00,000 रु. मूल्यांकन तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 6. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत।
12.	न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड बड़वानी	तहसील पाटी	1. नियमित वाद 5,00,000 रुपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 2. लघुवाद 200 रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 3. प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसावर्सेसी) विधान के अंतर्गत 5,00,000 रुपये तक प्रकरण। 4. धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत 5,00,000 रु. मूल्यांकन तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 6. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत।

			7. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड बड़वानी के द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों।
13.	न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, अंजड़	तहसील अंजड़, एवं ठीकरी	1. नियमित वाद 5,00,001 रुपये से 1,00,00,000 रुपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 2. लघुवाद प्रकरण 201 से 500 रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पार्ट-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 4. प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसावर्सेसी) विधान प्रकरण 5,00,001 रुपये से 1,00,00,000 रुपये तक। 5. धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत 5,00,001 रुपये से 1,00,00,000 रुपये मूल्यांकन तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6. धारा 139 एवं धारा 172 नगर पालिका विधान के तहत प्रस्तुत होने वाली विविध अपीलें। 7. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 8. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत।
14.	न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अंजड़	तहसील अंजड़ एवं ठीकरी	1. नियमित वाद 5,00,000 रुपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 2. लघुवाद 200 रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 3. प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसावर्सेसी) विधान के अंतर्गत 5,00,000 रुपये तक प्रकरण। 4. धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत 5,00,000 रु. मूल्यांकन तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण। 6. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत। 7. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अंजड़ के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अंजड़ के द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों।
15.	न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, राजपुर	तहसील राजपुर	1. नियमित वाद 5,00,001 रुपये से 1,00,00,000 रुपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 2. लघुवाद प्रकरण 201 से 500 रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण।

			3. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पार्ट-10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 4. प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसावर्सेसी) विधान प्रकरण 5,00,001 रुपये से 1,00,00,000 रुपये तक। 5. धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत 5,00,001 रुपये से 1,00,00,000 रुपये मूल्यांकन तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6. धारा 139 एवं धारा 172 नगर पालिका विधान के तहत प्रस्तुत होने वाली विविध अपीलें। 7. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 8. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत।
16.	न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के अतिरिक्त प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, राजपुर	तहसील राजपुर	1. नियमित वाद 5,00,000 रुपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 2. लघु वाद 200 रु. मूल्यांकन तक के प्रकरण। 3. प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसावर्सेसी) विधान के अंतर्गत 5,00,000 रुपये तक के प्रकरण। 4. धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार विधान के अंतर्गत 5,00,000 रु. मूल्यांकन तक प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण 6. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत। 7. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड राजपुर के द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों।
17.	न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सैंधवा	• तहसील सैंधवा, • वरला, पानसेमल एवं निवाली।	1. नियमित वाद 5,00,001 से 1,00,00,000 रुपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 2. लघुवाद 201 से 500 रुपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 3. भारतीय उत्तराधिकार विधान के पार्ट-10 के तहत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 4. प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसावर्सेसी) विधान के अंतर्गत 1,00,00,000 रुपये तक के प्रकरण। 5. धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 5,00,001 से 1,00,00,000 रुपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 6. धारा-139 एवं धारा 172 नगर पालिका विधान के तहत प्रस्तुत होने वाली विविध अपीलें। 7. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर

			न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य । 8. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत ।
18.	न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, सेंधवा	तहसील सेंधवा, वरला	1. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत तहसील सेंधवा, वरला की ग्राम न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर के सिविल वाद । 2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य । 3. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत ।
19.	न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के अतिरिक्त न्यायाधीश, सेंधवा	तहसील सेंधवा, वरला,	1. नियमित वाद 5,00,000 रुपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 2. लघुवाद 200 रुपये मूल्यांकन तक के प्रकरण। 3. धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 5,00,000 रुपये तक मूल्यांकन के प्रकरण। 4. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 5. न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सेंधवा के द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरणों से उद्भूत निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों।
20.	न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, खेतिया	तहसील पानसेमल, निवाली	1. नियमित वाद 5,00,000 रुपये तक मूल्यांकन के प्रकरण । 2. लघुवाद 200 रुपये मूल्यांकन तक के प्रकरण । 3. धारा-22 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 5,00,000 रु. तक के मूल्यांकन के प्रकरण। 4. धारा-139 एवं धारा 172 नगर पालिका विधान के तहत प्रस्तुत होने वाली विविध अपीलें। 5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण एवं अन्य कार्य। 6. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत ।

॥ आवश्यक निर्देश ॥

1.	ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन अवकाश में अत्यावश्यक प्रकृति के वादो एवं आवेदन पत्रों को ग्रहण करने एवं निराकृत करने की कार्यवाही संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा की जा सकेगी।
2	किसी अभियुक्त अथवा सहअभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 किसी विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा निराकृत किया गया है, तो पश्चातवर्ती कम में उस अभियुक्त या अन्य सहअभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र उन्हीं पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में स्वमेव अंतरित माना जाएगा। लिपिकीय त्रुटिवश या जानकारी के अभाव में उक्त निर्देश का पालन न हो पाने की दशा में संबंधित न्यायालय ऐसे आवेदन को सत्र न्यायालय को वापस करेंगे तथा उक्त आवेदन पत्र ऐसे अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को स्वमेव अंतरित माने जाएंगे, जिसके द्वारा पूर्ववर्ती आवेदन निराकृत किया गया है। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी के अवकाश पर होने या मुख्यालय से बाहर होने या शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन अवकाश पर होने अथवा अन्य किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाने की अवस्था में जमानत आवेदन पत्र के संबंध में पूर्व में जारी विविध आदेश क. 355/एस.डब्लू दिनांक 25.04.2025 प्रभावी रहेगा।
3.	सदस्य-प्रथम अति.मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सेंधवा के दीर्घ अवकाश एवं अनुपस्थिति की दशा में उनके द्वारा निराकृत क्लेम प्रकरणों तथा रिक्त न्यायालय, सदस्य अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सेंधवा द्वारा निराकृत किए गए क्लेम प्रकरणों में संबंधित पक्षकारों से संबंधित राशि जमा करने या भुगतान करने की कार्यवाहियाँ सदस्य-द्वितीय अति.मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सेंधवा द्वारा की जाएंगी।
4.	माननीय उच्च न्यायालय से अपील/पुनरीक्षण एवं अन्य कार्यवाहियों में रिमाण्ड होकर अथवा निराकृत होकर प्राप्त होने वाले प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही यदि कोई हों तो पूर्ववर्ती पीठासीन अधिकारी के स्थान पर वर्तमान में उनकी जगह पदस्थ पीठासीन अधिकारी के द्वारा संपादित किए जाएंगे।
5.	ऐसे न्यायालय जो पूर्व में अस्तित्व में थे तथा वर्तमान में रिक्त है या समाप्त हो चुके हैं, के द्वारा निराकृत किए गए प्रकरणों की आनुषंगिक कार्यवाहियाँ/क्लेम प्रकरण की दशा में संबंधित पक्षकारों से संबंधित राशि जमा करने या भुगतान करने की कार्यवाही निम्न व्यवस्था अनुसार की जाएगी—

रिक्त न्यायालय	वर्तमान में अधिकृत न्यायालय
प्रथम एवं द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी लिंक न्यायालय सेंधवा	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सेंधवा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सेंधवा / सदस्य, अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सेंधवा	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सेंधवा
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड बड़वानी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश बड़वानी के तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ बड़वानी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड बड़वानी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश बड़वानी के चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड बड़वानी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बड़वानी	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सेंधवा	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, सेंधवा
व्य.न्या. कनिष्ठ खंड सेंधवा के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश सेंधवा	व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, सेंधवा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बड़वानी के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड खेतिया	व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, सेंधवा
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड/अतिरिक्त न्यायाधीश अंजड़	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, अंजड़ के अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, अंजड़
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, राजपुर	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड राजपुर
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के अतिरिक्त न्यायाधीश खेतिया (प्रशिक्षु न्यायाधीश)	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, खेतिया

॥ न्यायालय के रिक्त होने पर या अवकाश – प्रभार ॥

निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 2 में उल्लेखित न्यायाधीश के अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थित होने की दशा में कॉलम क्रमांक 3 में उल्लेखित न्यायाधीश तथा कॉलम क्रमांक 3 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कॉलम क्रमांक 4 में उल्लेखित न्यायाधीश तथा कॉलम क्रमांक 4 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कॉलम क्रमांक 5 तथा कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कॉलम क्रमांक 6 में उल्लेखित न्यायाधीश द्वारा संबंधित न्यायालय/न्यायालयों का आवश्यक कार्य संपादित किया जावेगा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी) बड़वानी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी
2	परिवार न्यायालय बड़वानी	प्रधान जिला एवं	विशेष न्यायाधीश	प्रथम जिला एवं	तृतीय जिला एवं

[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	बड़वानी	वरिष्ठ खंड, बड़वानी	कनिष्ठ खंड, बड़वानी	कनिष्ठ खंड, बड़वानी	खण्ड, अंजड़
12	प्रथम व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी	तृतीय व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी	द्वितीय व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, बड़वानी	प्रथम व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, बड़वानी	व्य.न्या. वरिष्ठ खण्ड, अंजड़
13	तृतीय व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी	प्रथम व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी	द्वितीय व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, बड़वानी	प्रथम व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, बड़वानी	व्य.न्या. वरिष्ठ खण्ड, अंजड़
14	व्य.न्या. वरिष्ठ खंड, अंजड़	व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, अंजड़	व्य.न्या. वरिष्ठ खंड राजपुर	अति.व्य.न्या. कनिष्ठ खंड राजपुर	प्रथम व्य.न्या. वरिष्ठ खंड बड़वानी
15	व्य.न्या. कनिष्ठ खंड, अंजड़	व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, अंजड़	व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर	अति.व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी
16	व्य.न्या. वरिष्ठ खंड, राजपुर	अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, राजपुर	व्य. न्यायाधीश वरिष्ठ खंड अंजड़	व्य. न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अंजड़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी
17	व्य.न्या.कनिष्ठ खंड राजपुर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड राजपुर	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, राजपुर	व्य. न्यायाधीश वरिष्ठ खंड अंजड़	व्य. न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अंजड़	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी
18	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सेंधवा	व्य.न्याया.कनिष्ठ खंड के अति. न्याया. सेंधवा	व्य.न्या. कनिष्ठ खंड खेतिया	व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, राजपुर	अति.व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर
19	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सेंधवा	व्य.न्याया.कनिष्ठ खंड के अति. न्याया. सेंधवा	व्य.न्या. कनिष्ठ खंड खेतिया	व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, राजपुर	अति.व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर
20	व्य. न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के अति. न्यायाधीश, सेंधवा	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सेंधवा	व्य.न्या. कनिष्ठ खंड खेतिया	व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, राजपुर	अति.व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर
21	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, खेतिया	व्य.न्याया.कनिष्ठ खंड के अति. न्याया. सेंधवा	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सेंधवा	व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, राजपुर	अति.व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर

(महेन्द्र कुमार जैन)

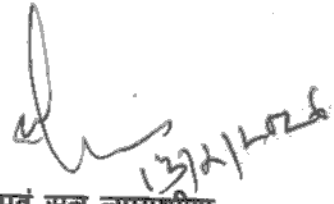
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)

पृ.क./ 610 /एक-5-1/2005-25

बड़वानी, दिनांक 14/02/2026

प्रतिलिपि :-

- 01- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित
- 02- माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 03- प्रधान न्यायाधीश, कटुम्ब न्यायालय, बड़वानी।
- 04- विशेष न्यायाधीश, बड़वानी।
- 05- प्रथम / द्वितीय/तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी / सेंधवा।
- 06- प्रथम /द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बड़वानी ।
- 07- व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, अंजड़ / राजपुर / सेंधवा।
- 08- प्रथम / तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी ।
- 09- व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, अंजड़/ खेतिया।
- 10- अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, राजपुर / सेंधवा
- 11- प्रभारी अधिकारी, फाईलिंग काउंटर, कम्प्यूटर अनुभाग, बड़वानी।
- 12- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बड़वानी/अंजड़/राजपुर/सेंधवा/खेतिया।
- 13- प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी।
- 14- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बड़वानी (म.प्र.)